राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 377/2024

सोमेन्द्र कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, कृषि एवं पंचायतीराज (कृषि) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2024
आदेश की दिनांक : 27.02.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप सक्सेना, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में संयुक्त निदेशक के पद पर राजस्थान भंडार व्यवस्था निगम जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान भंडार व्यवस्था निगम जयपुर से संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जि.प. अनूपगढ़ (पद विरूद्ध) 460 कि.मी. दूर बिना प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया। अपीलार्थी अनुसंधान शाखा से है, उसे कृषि (विस्तार) के पद पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी की जन्म दिनांक 06.03.1965 है। अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.03.2025 को सेवानिवृत्त हो रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में लगभग एक वर्ष शेष है और अपीलार्थी के स्थान पर किसी को स्थानान्तरित नहीं किया गया है। अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया, जबकि नियम 17 (1) के अनुसार स्थानान्तरण आदेश में इसका अंकन आवश्यक है। अपीलार्थी रिसर्च शाखा का है, उसे केवल उसी पद पर पदस्थापित किया जा सकता है, लेकिन बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता या प्रशासनिक हित में अवैधानिक व मनमाने तरीके से अपीलार्थी को आलौच्य आदेश द्वारा कृषि विस्तार के पद पर पदस्थापित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2023 के संदर्भ में

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनुसंधान शाखा की जारी वरिष्ठता सूची प्रस्तुत की (अनुलग्नक–2), जिसमें अपीलार्थी का नाम संयुक्त निदेशक (उद्यान) में अंकित है एवं निवेदन किया कि अनुसंधान शाखा को अधिकारी को विस्तार शाखा के पद पर पदस्थापन पूर्णतः नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान भंडार व्यवस्था निगम जयपुर से संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जि.प. अनूपगढ़ (पद विरूद्ध) किया गया है। अपीलार्थी की तरफ से ऐसा कोई नियम या आदेश प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह तथ्य साबित हो सके कि अनुसंधान शाखा के राज्य सेवक का स्थानान्तरण विस्तार शाखा में नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया कि आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत सक्षम स्तर से जारी किया गया है एवं अपीलार्थी को उसके पद अनुरूप ही संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी जून 1995 से लगातार (जनवरी 2019 से जून 2019 की 5 माह की अवधि छोड़कर) जयपुर में पदस्थापित रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का

स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधि अनुमत्त करेगा।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)